


फर्द अहकाम

अज अदालत -जिला कलक्टर,-मुकाम -भरतपुर
राहुल शर्मा बनाम जन सूचना अधिकारी, नगर निगम, भरतपुर
किस्म मुकदमा-अपील आर.टी.आई. नम्बर ..6./ सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
28.07.2022	<p>प्रार्थी/अपीलान्ट राहुल शर्मा पुत्र कारे सिंह शर्मा, लक्ष्मी नगर संत कृपाल सी.सै. स्कूल के पास भरतपुर ने आर टी आई के तहत यह अपील जन सूचना अधिकारी नगर निगम भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपील के साथ सलंगन फोटो प्रति पत्रादि से जाहिर है कि प्रार्थी ने आर.टी.आई. के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र में जन सूचना अधिकारी नगर निगम भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण, आरटीआई के तहत यह अपील इस कार्यालय को प्रेषित की गई है।</p> <p>आर.टी.आई. एक्ट के तहत जन सूचना अधिकारी नगर निगम भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार सम्बन्धित महापौर नगर निगम भरतपुर को है। अतः प्राप्त मूल अपील को लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार महापौर नगर निगम, भरतपुर को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो।</p> <p> जिला कलक्टर भरतपुर</p>	<p>580 7/8/22 हे.सूचना के.ए.</p>